कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा (म0प्र0)

//निविदा आमंत्रण सायकल/वाहन स्टैण्ड बाबत्//

क्रमांक 2171 /तीन–03–01/88 छिंदवाड़ा, दिनांक 30/05/2019

जिला न्यायालय परिसर, छिंदवाड़ा में सायकल/वाहन स्टैण्ड का ठेका दिनांक 01.07.2019 से 31.03.2020 तक के लिए निम्नानुसार दर पर दिया जाना है, मासिक किराये की दर रूपये 27,500/– (रूपये सत्ताईस हजार पॉच सौ मात्र) से कम नही होगी, अधिकारी/कर्मचारी तथा अधिवक्ताओं के वाहन शुल्क मुक्त रहेंगें :–

क्र0	वाहन का प्रकार	दर
01	सायकल	रूपये 2/–
02	दो पहिया वाहन	रूपये 3/–
03	चार पहिया वाहन	रूपये 5/–

निविदा के साथ रूपये 5000/– का बैंक ड्राफ्ट (जो जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिंदवाड़ा के पक्ष में हो) संलग्न करना अनिवार्य है। निविदा स्वीकार किए जाने पर अनुबंध निर्धारित शर्तो के अधीन कराना आवश्यक होगा तथा निविदा स्वीकृत होने पर प्रतिभूति की राशि रूपये 30,000/– (रूपये तीस हजार मात्र) नगद सावधि के रूप में जमा करना होगा।

निविदा की शर्ते इस कार्यालय के E-Mail Address-dcourtchi-mp@nic.in पर चाहने पर उपलब्ध कराई जावेगी अथवा कार्यालयीन समय पर सुबह 10:30 बजे से शाम 05:30 बजे के मध्य आकर देखी जा सकती है।

निविदा दिनांक 14.06.2019 की शाम 05:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है उसकी पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
छिन्दवाड़ा (म0प्र0)

<u>कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा (म0प्र0)</u>

//निविदा की शर्तें//

1. इच्छुक व्यक्ति अपनी निविदा के साथ रूपये 5,000/– के बैंक ड्राफ्ट, जो जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिंदवाड़ा के पक्ष में हो, एक सीलबंद लिफाफे में दिनांक 14.06.2019 की शाम 05:00 बजे तक इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है, इसके पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।

2. जिस निविदाकर्ता की निविदा स्वीकार की जावेगी, उसे छोड़कर शेष समस्त निविदाकर्ता का रूपये 5,000/– का बैंक ड्राफ्ट उन्हें वापिस कर दिया जावेगा।

3. जिस निविदाकर्ता की निविदा स्वीकार की जावेगी, उनसे अनुबंध निष्पादन की समस्त प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् ही रूपये 5000/– का बैंक ड्राफ्ट उन्हें वापिस किया जावेगा। यदि निविदाकर्ता अनुबंध निष्पादित करने से इंकार करता है अथवा उनकी स्वीकृत निविदा का निरस्तीकरण बाबत् निवेदन करता है, तो उनके द्वारा प्रस्तुत रूपये 5000/– का बैंक ड्राफ्ट राजसात कर लिया जावेगा।

4. निविदा की प्रतिभूति की राशि वार्षिक ठेका समाप्ति उपरान्त वापसी योग्य होगी एवं उस पर कोई अधिभार/ब्याज आदि देय नहीं होगा।

5. अनुबंध की शर्तो का पालन नहीं करने की दशा में अनुबंध निरस्त किया जाएगा तथा प्रतिभूति की राशि राजसात कर ली जावेगी।

6. निविदा स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का अधिकार जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिंदवाड़ा का रहेगा।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
छिन्दवाड़ा (म0प्र0)